27/7/22 पत्रावली पेश हुयी। कोई भी उप० नहीं। वादी का मूल वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है इसलिए प्रार्थना-पत्र को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है अतः पत्रावली अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की जाती है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। वाद प्राप्ति दाखिल दफ्तर हो। मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

[signature]